प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 61 सन 2021
अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति गाडिया लुहार निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. फरसाराम पुत्र मनीराम जाति गाडिया लुहार निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री मनीराम जाति गाडिया लुहार निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. सरबती पत्नी मनीराम जाति गाडिया लुहार निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. सुशीला पत्नी ओमप्रकाश जाति गाडिया लुहार निवासी असरजाना तहसील नोहर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 04.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा असरजाना के खात संख्या 106/106 के खसरा 300/1 की कुल 0.2150हैक्ट भूमि प्रार्थीगण का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण जाति लूहार दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी की सही जाति गाडिया लुहार है यही जाति अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी की जाति राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी की जाति अन्य दस्तावेजात में गाडिया लुहार अंकित है केवल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति गलत तौर से दर्ज हुई है इसलिये प्रार्थी अपनी जाति राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी की जाति संशोधन करने के आदेश फरमावे।प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई प्रार्थी को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा असरजाना के खात संख्या 106/106 के खसरा 300/1 की कुल 0.2150हैक्ट भूमि प्रार्थीगण का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी की जाति लुहार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसकी जाति गाडिया लुहार है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत भूमि आवंटन आदेश जो उनके पिता मोमनराम वल्द मूलाराम को आवटित की गई थी में प्रार्थी के पिता की जाति गाडिया लुहार अंकित है प्रार्थी के पिता के देहान्त होने पर वाद भूमि उनके वारिसान के नाम विरास्तन से दर्ज हुई किन्तु जाति गाडिया लुहार के स्थान पर लुहार दर्ज कर दी जो संशोधन योग्य है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अनुसार प्रार्थीगण की जाति गाडिया लुहार प्रतीत होता है प्रार्थी की जाति संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा असरजाना के खात संख्या 106/106 के खसरा 300/1 की कुल 0.2150हैक्ट भूमि जो प्रार्थीगण के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की जाति लुहार के स्थान पर गाडिया लुहार संशोधन की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 4/10/2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के सगं अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ..ननाउ...

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/136LRA/61 दिनांक :– 4.10.21

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 61/2021 अनवानी ओमप्रकाश बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति गाडिया लुहार निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. फरसाराम पुत्र मनीराम जाति गाडिया लुहार निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री मनीराम जाति गाडिया लुहार निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. सरबती पत्नी मनीराम जाति गाडिया लुहार निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. सुशीला पत्नी ओमप्रकाश जाति गाडिया लुहार निवासी असरजाना तहसील नोहर।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा असरजाना के खात संख्या 106/106 के खसरा 300/1 की कुल 0.2150हैक भूमि जो प्रार्थीगण के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की जाति लुहार के स्थान पर गाडिया लुहार संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी

नोहर (हनुमानगढ)

नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021

कैम्प कोर्ट ...ननाउ....

Scanned with CamScanner